

कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/700

दिनांक : 11-12, 2022

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के बेर फसल वर्ष 2022-23 (3.5 एकड़) की बिक्री हेतु दिनांक 22.12.2022 के अपराह्न 02:30 बजे संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा के कार्यालय में खुली नीलामी होगी।


नीलामी की शर्तें :-

1. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति (ठेकेदार) नीलामी से पूर्व बाग का भली-भाँति निरीक्षण कर लें।
2. ठेका लेने के इच्छुक ठेकेदार दिनांक 22.12.2022 के अपराह्न 1:00 बजे तक केंद्र के कार्यालय में ₹0 5,000/- नकद जमा करके खुली बोली में भाग ले सकते हैं।
3. उच्चतम बोली दाता तथा द्वितीय उच्चतम बोली दाता द्वारा जमा की गयी धनराशि ₹0 5,000/- को छोड़कर अन्य ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी धनराशि को बोली समाप्ति के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोलीदाताओं को अस्वीकृत कर दें।
6. उच्चतम सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी में बोली गई उच्चतम धनराशि में ही 4 प्रतिशत धनराशि ई0एस0आई0 के रूप में एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के रूप में सम्मिलित रहेगा।
7. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली की धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) अग्रिम के रूप में बोली की समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में पहले जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹0 5,000/- को समायोजित नहीं किया जायेगा यदि सफल बोलीदाता द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा पहले जमा की गई धरोहर धनराशि ₹0 5,000/- को जब्त कर ली जायेगी।
8. कुलपति महोदय द्वारा बोली स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को डाक द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम बोली की धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करनी होगी। इसमें पहले जमा किये गये धरोहर धनराशि ₹0 5,000/- को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पत्र प्रेषण के दिनांक से 15 दिन में कब्जा नहीं लिया जाता है तो वह अगले 15 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग का कब्जा ले सकता है। इसके बाद ठेका स्वयं निरस्त माना जायेगा और जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. ठेकेदार को बाग का कब्जा लेने के समय ठेके की उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के नाम जमा करनी होगी। जो केवल भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक/यूनियन बैंक, पंतनगर में देय हो तभी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार किया जायेगा। इस बैंक ड्राफ्ट को ठेके की समाप्ति के बाद नियमानुसार ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक तक प्रतिभूति राशि ठेकेदार द्वारा जमा नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
10. जिस ठेकेदार की बोली स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद आदि को सुलझाने के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. फलों को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु ठेकेदार को केंद्र कार्यालय से गेट पास प्राप्त करना होगा।
13. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस, ग्राम प्रधान, विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र के कार्यालय में जमा करना होगा।

14. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

क्र० सं०	फल बाग का नाम	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/ केंद्र के बिक्रय पटल से बिक्री हेतु दिये जाने वाले फलों की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1.	बेर फल	100 कि०ग्रा	300 फल

15. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू० 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
16. अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
17. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केंद्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केंद्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
18. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई, ढुलाई आदि कार्य स्वयं करने होंगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
20. बेर बाग की नीलामी सूचना, सूचना पट तथा संज्ञानित ठेकेदारों को डाक/दूरभाष द्वारा दी जायेगी।
21. बाग के ठेके की अवधि कब्जा लेने की तिथि से दिनांक 30.04.2023 तक होगी।


 (ए०के०सिंह)
 Joint Director
 H.R.C. Patharchatta